(2) पंचेश्वर जल-विद्युत् परियोजना

इस परियोजना के संयुक्त अन्वेषणों को आरम्भ करने के लिये दोनों देशों को तीन महीने की अवधि के अन्दर अपने-अपने प्रतिनिधियों को मनोनीत करना चाहिए ।

(3) राप्ती परियोजना

विस्तृत अन्वेषण करने एवं दो वर्षों के अन्दर विस्तृत परियोजना अनुमानों को तैयार करने के प्रबन्धों को अंतिम रूप देने हेतु दोनों देशों के विशेषज्ञों की बैठक एक महीने के अन्दर की जानी चाहिए ।

करनाली परियोजना सम्बन्धी समिति के विचारणीय विषयों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है। इस समिति की प्रथम बैठक अप्रैल, 1978 के प्रथम सप्ताह में हुई थी। यह निर्णय किया गया था कि परियोजना के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिये दो संयुक्त दल और प्रत्येक देश में दो अलग-अलग दल गठित किए जाएं ।

जहां तक पंचेश्वर जल-विद्युत परियोजना का संबंध है, संयुक्त विशेषज्ञ दल की प्रथम बैठक 11 और 12 अप्रैल, 1978 को हुई थी। यह निर्णय किया गया था कि अन्वेषण करने और उन की लागत के अनुमानों को तैयार करने के लिये विचारणीय विषयों को तयार करने हेतु एक संयुक्त तकनीकी दल गठित किया जाए ।

एक नेपाली प्रतिनिधि-मण्डल जनवरी, 1978 में भारत आया था और राप्ती परियोजना के विस्तृत अन्वेषणों को किस तरीके से किया जाना चाहिये, इस पर विचार-विमर्श किया गया था। क्षेत्रीय अन्वेषणों के अनुमानों को अन्तिम रूप देने एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु भारत और नेपाल के इंजीनियरों के एक दल की हाल ही में एक बैठक हुई थी ।

ये सभी परियोजनाएं अन्वेषणों की अवस्था में हैं और भारत तथा नेपाल को इनसे होने वाले लाभों की मात्रा इस समय नहीं बताई जा सकती ।

ग्रामीण विकास कार्यक्रम में व्यापारिक और औद्योगिक वाणिज्यिक गृहों का शामिल होना

7866. **श्री रामसेवक हजारी :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विकास कार्यक्रम में व्यापारिक और औद्योगिक वाणिज्यिक गृहों को शरीक करने की आवश्यकता की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस दिशा में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) सरकार ग्राम विकास कार्यक्रम में व्यापारिक और औद्योगिक वाणिज्यिक गृहों को शामिल करने की आवश्यकता के प्रति जागरूक है ।

(ख) और (ग) कम्पनियों तथा सहकारी सोसाइटियों को ग्राम कल्याण तथा उत्थान के कार्य में शामिल होने के लिए बढ़ावा देने हेतु वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1977 ने आयकर अधिनियम में एक नई धारा 35 जग जोड़ी है जिस के अधीन कम्पनियां तथा सहकारी सोसायटियां ग्राम विकास के किसी कार्यक्रम पर उनके द्वारा किए गए व्यय पर उनके आयकर योग्य लाभों की गणना करने में छूट पाने की पात्र हैं । इस छूट की प्रक्रिया में ग्राम विकास कार्यक्रमों को हाथ में लेने के लिए अनेक कम्पनियां आगे आई हैं । तथापि, अन्य दूसरी कम्पनियों ने यह निवेदन

किया कि यह अधिक सुविधाजनक होगा यदि उन्हें इस प्रशंसनीय कार्य में स्वैच्छिक संगठनों, जो इस दिशा में काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं, के साथ स्वयं साझीदार बन कर और उन्हें योगदान दे कर भाग लेने की अनुमति दी जाए। वित्त विधेयक, 1978 में यह प्रावधान है कि किसी भी ऐसी एसोसिएशन अथवा संस्था का व्यापार अथवा व्यवसाय चलाने वाले किसी भी आयकरदाता, जिस का ग्राम विकास कार्यक्रमों को हाथ में लेने का अपना उद्देश्य है, द्वारा देय उस धनराशि पर आयकर योग्य लाभों की गणना करने में छूट की अनुमति होगी जहां ऐसी धनराशि ग्राम विकास कार्यक्रमों को चलाने के लिये उपयोग में लाई जानी है।

सेन्ट्रल स्कूलों में हरिजन और आदिवासी विद्यार्थी / शिक्षक

7867. **श्री सुखेन्द्र सिंह :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में सेन्ट्रल स्कूलों में हरिजन और आदिवासि विद्यार्थियों और शिक्षकों की प्रतिशतता कितनी है; और

(ख) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश में उन क्षेत्रों में जहां हरिजनों और आदिवासियों की संख्या बहुत अधिक है केवल उनके लिये एक सेन्ट्रल स्कूल खोलने का है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरुवा) : (क) मध्य प्रदेश के केन्द्रीय विद्यालयों (सेन्ट्रल स्कूलों) में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित छात्रों और शिक्षण एवं गर-शिक्षण कर्मचारियों की प्रतिशतता क्रमशः 6.07 और 7.74 है।

(ख) क्योंकि केन्द्रीय विद्यालयों (सेन्ट्रल स्कूलों) का मुख्य उद्देश्य केन्द्रीय सरकार के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चों को बाधारहित शिक्षा प्रदान करना है अतः मध्य प्रदेश में केवल हरिजनों और आदिवासियों के लिये एक केन्द्रीय विद्यालय (सेन्ट्रल स्कूल) खोलने का केन्द्रीय विद्यालय संगठन को कोई प्रस्ताव नहीं है।

Technical posts lying vacant in various Deptts. of the Ministry

7868. SHRI SUKHENDRA SINGH: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) number of Class I and Class II technical posts lying vacant as on 28th February, 1978 in the Departments of Agriculture, Food, Rural Development and Irrigation;

(b) what are the details of such posts and since when they are lying vacant, Department-wise details for each of the vacant post may be placed on the Table of the House; and

(c) what action has so far been taken to fill up these posts and how many cases are lying pending at various stages, Department-wise position may please be placed on the Table of the House?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) to (c). A statement containing information in respect of these Departments is laid on the Table of the Sabha. [Placed in Library. See No. LT 2177/78].

लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा

7869. **श्री ईश्वर चौधरी :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन राज्यों में लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है ;